न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 247/2012 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

जीयालाल पुत्र पूरन जाति कोली निवासी करावली तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 241/3 किस्म गैरमुमकिन रकबा 3 बीघा के विरूद्ध आवटन/नामान्तरकरण संख्या 201 व 344 को निरस्त कर गैरमुमकिन दर्ज करने बाबत। उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री पंकज कुमार वकील अप्रार्थी0।

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी0 के हक में नियमन/आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 241/3 किस्म गैरमुमकिन रकबा 3 विस्वा बाकै ग्राम करावली तहसील वैर के प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 201 व 344 वगैरह को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति गैरमुमकिन दर्ज किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जावे।

रैफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी0 की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथनों में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 241/3 रकबा 3 बीघा किस्म गैरमुमकिन ग्राम करावली तहसील वैर पर जमाबन्दी सम्वत 2066–2069

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

में जीयालाल पुत्र पूरन कौम कोली सा. देह खातेदार दर्ज है। उनका कहना है कि विवादित आराजी को आवंटन कमेटी ने दिनांक 06.10.1970 को मूल आवंटी भीखालल को आवन्टित किया था। नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 07.08.1974 के कॉलम संख्या 5 में भीखालाल पुत्र सुखचन्द कौम जाटव सा.देह गैर खातेदार साल 6 एवं कॉलम संख्या 11 में भीक्खा पुत्र सुखचन्द कौम जाटव सा0 देह खतेदार दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 135 के कॉलम संख्या 4 में भीखालाल पुत्र सुखचन्द कौम जाटव सा.देह खातेदार एवं कॉलम संख्या 9 में जीयालाल पुत्र पूरन जाति कोली निवासी कारावली खातेदार दर्ज हे। विवादित आराजी गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आजी है। ऐसी भूमियों को आवंटित नहीं किया जा सकता है। आवंटन प्रभाव शून्य है। राजकीय अधिवक्ता ने सर्वोत्तम न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ऐसी भूमियों का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। रैफरेस स्वीकार किया जाकर प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथनो में जाहिर किया कि प्रकरण मे मूल आवंटी भीखालाल सुखचन्द को मुकदमा मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। मूल आवंटी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण रैफरेंस काबिल खारिजी के है। जियालाल द्वारा विवादित आराजी को रजिस्टर्ड बयनामा मूल आवंटी से क्रय किया है। रजिस्टर्ड बयनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना रैफरेंस स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मूल आवंटी को आवंटन दिनांक 06.10.1970 को किया गया है। आवंटन के बाद मूल आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद रैफरेंस द्वारा खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। रैफरेस खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के कथनो पर गौर किया गया। नकल जमाबन्दी संवत 2018–2021 में आराजी खसरा नम्बर 241 (16 वीघा 17 विस्वा) गैरमुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 201 से आराजी खसरा नम्बर 241 का भीखालाल पुत्र सुखचन्द कौम जाटव को आवंटन का नामान्तरकरण स्वीकार होना स्पष्ट होता है। नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 07.08.1974 से भीखा पुत्र सुखचन्द के नाम आराजी खसरा नम्बर 241 की गैरखातेदारी से खातेदारी होना स्पष्ट होता है एवं खातेदारी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पश्चात आवंटी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर प्रार्थी के नाम विवादित आराजी का जरिये इन्तकाल नम्बर 610 इन्द्राज दर्ज होना स्पष्ट है। तहसीलदार वैर द्वारा सम्वत 2018–2021 के राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नला के आधार पर रैफरेस प्रकरण तैयार कर न्यायालय में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के कम में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्ण दिनांक 02.08.2004 एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.08.1947 की स्थिति में सभी अपवाह क्षेत्र की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है। दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर की रिकार्ड व मौके पर क्या स्थिति रही। वर्तमान में विवादित आराजी पर किये गये आवंटन से अपवाह क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने सम्बन्धी जांच रैफरेस के साथ प्रस्तुत नहीं की है। सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त मेरा मत है कि रैफरेस प्रकरण केवल एक वर्ष के राजस्व रिकार्ड के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इस रैफरेस प्रकरण को तय करने के लिये उपर्युक्त तथ्यों एवं बिन्दुओं के सम्बन्ध में भी तहसीलदार वेर से जांच आना आवश्यक है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार वैर को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 के मध्यनजर पुनः मौका जांच रिपोर्ट, व दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति, आवंटन से अपवाह क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर अपनी अभिशंषा सहित पुनः रैफरेंस प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)